मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल 462 004

क्रमांक एफ. 7-16/2005/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 16 मई 2005

प्रति,

प्रमुख सचिव/सचिव,
शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश.

विषय.—संदेहास्पद जाति प्रमाण-पत्रों की जांच उच्चस्तरीय छानबीन समितियों से कराने बाबत्.

संदर्भ.—(1) सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश क्रमांक एफ. 7-1/96/आ.प्र./एक, दिनांक 8-9-97 (अनुसूचित जनजाति)
(2) सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश क्रमांक एफ. 7-1/96/आ.प्र./एक, दिनांक 8-9-97 (अनुसूचित जाति)
(3) सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश क्रमांक एफ. 7-1/96/आ.प्र./एक, दिनांक 8-9-97 (अन्य पिछड़ा वर्ग)

सामान्य प्रशासन विभाग के उपर्युक्त संदर्भित आदेशों द्वारा क्रमशः अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के जाति प्रमाण-पत्रों की जांच हेतु उच्चस्तरीय छानबीन समितियों का गठन किया गया है तथा छानबीन समितियों द्वारा अपनायी जाने वाली जांच प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है.

2. राज्य शासन के ध्यान में यह बात आयी है कि कई उम्मीदवार फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों के आधार पर आरक्षण सुविधा का लाभ ले रहे हैं. इससे इन वर्गों के वास्तविक उम्मीदवारों का हित प्रभावित होता है. प्रायः यह भी देखा गया है कि जाति प्रमाण-पत्रों के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित विभाग/कार्यालय/संस्था द्वारा उसका परीक्षण अपने स्तर पर ही प्रारंभ कर दिया जाता है.

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जाति प्रमाण-पत्रों की जांच कर निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ उच्चस्तरीय छानबीन समितियों को ही सौंपा गया है. विभागीय/संस्था स्तर पर न तो इसका परीक्षण संभव है और न ही वैधानिक है. अतः सभी संबंधितों को निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई जाति प्रमाण-पत्र सन्देहास्पद प्रतीत होते हैं या किसी जाति प्रमाण-पत्र के संबंध में शिकायत प्राप्त होती है तो उस जाति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न कर, प्रकरण तत्काल संबंधित उच्चस्तरीय छानबीन समिति को जांच हेतु सौंपा जाये. छानबीन समिति द्वारा पारित निर्णय अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये.

4. कृपया इन निर्देशों को अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त कार्यालय एवं संचालित समस्त तकनीकी/मेडिकल कालेज तथा विश्वविद्यालयों को पृष्ठांकित करें.

हस्ता./-
(सुभाष डाकणे)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.